



## सोशल मीडिया का उपयोग: मुद्दे एवं चुनौतियाँ

अभिषेक सौरभ

शोधार्थी, जेएनयू, नई दिल्ली, भारत

### प्रस्तावना

उत्तर-आधुनिकता का दौर है। आधुनिकता के वाहक तमाम वैज्ञानिक अविष्कारों, यंत्रों-तकनीकों, सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांतियों के तत्व सफलतापूर्वक अब उत्तर-आधुनिकता की नींव रख चुके हैं। तकनीकी रूप से सोशल मीडिया की यात्रा भी आधुनिकता से उत्तर-आधुनिकता की यात्रा के मानिंद ही है। कभी के बेसिक ईमेल सर्विस यथा- याहू मेल, रेडिफमेल, जीमेल आदि से बढ़ता हुआ सोशल मीडिया का संसार पहले ऑरकुट जैसे बेसिक सोशल-साइट्स पर आकर ठहरा और उतरोत्तर विकसित होते हुए अब ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम तक प्रसारित हो चुका है। आज सोशल मीडिया सम्प्रेषण और अभिव्यक्ति का एक क्रान्तिकारी माध्यम बन चुका है। वर्तमान में, सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित किया जा रहा है और उन्हें प्रभावित करने के साथ-साथ रोजमर्रा के जीवन की घटनाओं-गतिविधियों पर भी गहरी दृष्टि रखी जा रही है।

यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि ये विशाल दुनिया आज एक विश्व-ग्राम की भांति स्थापित हो चुका है। तकनीकी और संचार-क्रांति ने इस विशालकाय संसार को समेट कर एक विश्व-ग्राम अर्थात् ग्लोबल-विलेज में बदल दिया है। कनाडाई प्रोफेसर मार्शल मैककलुहान ने 1964 ई. में विश्व-ग्राम की अवधारणा पेश करते हुए अपनी पुस्तक 'अंडरस्टैंडिंग मीडिया : द एक्स्टेन्शन ऑफ मैन' में इन्सान के विश्व-नागरिकता की बात की थी। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को विश्व-नागरिक घोषित किया। देखें तो सिर्फ कनाडाई दार्शनिक मार्शल मैककलुहान ही क्यों, बल्कि सोशल मीडिया आज किसी भी व्यक्ति की वैश्विकता को पोषित करने में स्पष्ट तौर पर सहायक है। भारत के किसी क्रस्बे में बैठकर एक आम व्यक्ति इजरायल-फिलिस्तीन मसलों पर अपनी वैचारिकता को सहज संप्रेषित कर सकता है। यूनाइटेड नेशन या यूनेस्को को ट्विटर पर कोई संजीदा मुद्दा टैग कर सकता है या विश्व स्वास्थ्य संगठन के किसी मानवीय योजना की किसी जगह पर कैसे हवा निकाली जा रही है, यह किसी वीडियो के माध्यम से बता सकता है। यह सोशल मीडिया की देन है कि यमन, सीरिया, मिस्र या लाबिया में किसी जनान्दोलन को आप भारत, ईरान या ब्रिटेन में बैठकर नैतिक सहयोग कर सकते हैं और विश्व-लोकतंत्र की स्थापना में एक वैश्विक नागरिक की भांति सहयोग कर सकते हैं।

गौरतलब है, उदारिकरण के पश्चात् इन्सान और समाज के वैश्वीकरण से लेकर भूमंडलीकरण तक की इस यात्रा में सहयोगी रही सोशल मीडिया मानव-जाति के समक्ष कुछ गंभीर मुद्दों व चुनौतियों को भी

रखती है। हिंदी साहित्यकार हरिशंकर परसाई ने अपनी व्यंग्य-रचना 'आवारा भीड़ के खतरे' में कभी समाज की अनियंत्रित-अशिक्षित भीड़ से सामाजिक सुरक्षा एवं शांति को गहरा खतरा बताया था। आज सोशल मीडिया से संभावित खतरों एवं चुनौतियों में भी इस आवारा भीड़ के खतरे को महसूस किया जा सकता है। यद्यपि यह भीड़ आभाषी है, वर्चुअल है लेकिन इसके खतरे वास्तविक आवारा भीड़ की मानिंद बराबर ढंग से मारक हैं। कतिपय मामलों में तो यह खतरा उत्पन्न करना और भी सहज एवं सरल है, क्योंकि वर्चुअल संसार की भीड़ इकट्ठी करना बहुत आसान भी है, ट्रोल-गैंग्स इसलिए तो निर्मित किये जाते हैं। कतिपय मामलों में, ट्रोल-कर्ताओं की एक छोटी टीम ही आभाषी दुनिया के एक बड़ी भीड़ जैसी

मारक अराजकता का निर्माण आसानी से कर सकती है।

आँकड़ों के मुताबिक, भारत की सवा अरब जनसंख्या में लगभग 70 करोड़ लोगों के पास फ़ोन है। इनमें से 25 करोड़ लोगों की जेब में स्मार्टफ़ोन है। साढ़े 15 करोड़ (15.5 करोड़) लोग हर महीने फेसबुक से जुड़े रहते हैं और करीब 16 करोड़ लोगों की निरंतर उपस्थिति हर महीने व्हाट्सएप पर रहती है। 4 इतनी विशाल आबादी के परिप्रेक्ष्य में सोचने पर हम पाते हैं कि केवल भारतवर्ष की सोशल मीडिया का वर्चुअल संसार, दुनिया के कई देशों की आबादी से ज्यादा बड़ा, व्यापक और विस्तृत है। यह विस्तृत व्यापकता एक खतरा भी है। चूंकि सोशल मीडिया वो मंच है, जहाँ किसी भी तरह के कुप्रचार करने के लिए मानव की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, इसलिए घृणामूलक कुप्रचार करने वाली असली-नकली हजारों प्रोफाइलों और उनके फॉलोअरों के माध्यम से अराजकतावादी ताकतें उन्माद एवं हिंसा फैलाने वाली बहसों में हिस्सेदार बनते हैं और एक वर्चुअल भीड़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं।

यद्यपि, आज मानव-जीवन में पर्याप्त पहुँच और अनिवार्य उपयोगिता के कारण ऐसा लगना स्वाभाविक है कि वर्तमान में सोशल मीडिया मानव समाज के लिए एक वरदान के स्वरूप हो चुका है और कमोबेश यही सच है। लेकिन जैसा कि अन्य वैज्ञानिक तकनीकों के साथ होता रहा है कि उनके अविष्कार के साथ ही उनके दुरुपयोग का खतरा भी मंडराता रहता है, वह संकट सोशल मीडिया के उपयोग से भी जुड़ा है। सोशल मीडिया पर कोई भी खबर आग की तरह फैलती है। ऐसे में सांप्रदायिक उन्माद प्रसारित करने वाली ताकतें, समाज में वैमनस्यता फैलानेवाली या नफ़रत का कारोबार करने वाली शक्तियाँ, चरमपंथी आदि भी इस फ़िराक में लगे रहते हैं कि वे सोशल मीडिया का बेजा उपयोग कर सकें और वे इसमें कई दफ़ा सफल भी होते हैं, हो चुके हैं। पिछले दस सालों में ही, ऐसा कई दफ़ा हो चुका है कि लोगों ने

सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों को ही सही मान लिया और उग्र होकर हिंसात्मक गतिविधियों, आगजनी एवं दंगों में शरीक हो गये। उत्तरप्रदेश के सहारनपुर में जातीय-हिंसा, बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में धार्मिक-उग्रता, पश्चिम-बंग के मालदा (कालीचक) में सांप्रदायिक-हिंसा, पश्चिम बंगाल के ही बदौरिया और हाजीनगर में दंगा फैलने के पीछे सोशल मीडिया पर प्रसारित की गयी भ्रामक, हिंसात्मक, द्वेषपूर्ण और नृतिपूर्ण कुप्रचार की मुख्य भूमिका रही है। यह चिंतनीय है और इसका ठोस निदान करना आवश्यक है। साइबर कानूनों का समय-समय पर अवलोकन और जरूरी सतर्कतायुक्त कदम भी इसके लिए अपरिहार्य है। सबसे बड़ी विडंबना है कि हिंसात्मक कुप्रचार को भी कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम दिया जाने लगता है, जबकि यह स्पष्ट तौर पर संविधान के अनुच्छेद 19 (2) का सीधा अतिक्रमण है। यह अनुच्छेद राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था एवं आपराधिक कृत्यों को प्रोत्साहन देने वाली अभिव्यक्ति पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। यहाँ यह प्रासंगिक उल्लेख है कि 'साल 2015 में सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की निगहबानी करने वाली आईटी एक्ट की धारा 66 (क) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था'5, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के घृणास्पद कुप्रचारों और संदेशों को प्रसारित करना भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (क),

153 (ख), 295 (क) का सीधे तौर पर विधिक उल्लंघन है।

‘2014-19 के लोकसभा-सत्र में गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने भारत में सोशल मीडिया के उपयोग-दुरुपयोग की स्थिति पर आधारित एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सिर्फ 2017-18 में ही फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 2,245 आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने की शिकायत की गयी थी, जिनमें से जून, 2018 तक 1,662 सामग्रियाँ हटा दी गई थीं। इनमें से फेसबुक को सबसे ज्यादा 956 आपत्तिजनक सामग्रियों को हटाना पड़ा। 6 इन आपत्तिजनक पोस्टों (सामग्रियों) में ज्यादातर वे सन्देश प्रसारित किये गये थे, जो धार्मिक भावनाएँ और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन करते थे। इतनी कम समयवाधि में इतनी बड़ी संख्या में आपत्तिजनक कंटेंट्स (प्रेषण सामग्री-सन्देश) का सोशल मीडिया पर प्रचारित-प्रसारित किया जाना, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, हम बहुधा इस तरह की बातें सुनते रहते हैं कि विश्व के प्रभावशाली नेताओं की या फिर किसी लोकतान्त्रिक राज्य में विरोधी-दल के नेताओं की या फिर किसी सैनिक-शासित देश में लोकतंत्र-समर्थक नेताओं की अवैधानिक-अनैतिक तौर पर फ़ोन रिकॉर्डिंग कर ली गयी। किसी देश की सुरक्षात्मक-मसलों, खुफ़िया जानकारीयों या जासूसी गतिविधियों में भी फ़ोन टैप जैसी बातें हम सुनते रहे हैं। आज के समय में यह अनैतिक कार्यवाही सम्बन्धित-संदर्भित व्यक्तियों के सोशल साइट्स आईडी पर नजर रख कर भी पूरा किया जा रहा है। कभी-कभी बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की फ़र्जी आईडी भी बना ली जाती है या फिर उनकी सोशल साइट्स आईडी ही हैक कर ली जाती है और उससे गलत, भ्रामक, त्रुटिपूर्ण या अस्थिरता फैलाने वाले सन्देश संप्रेषित कर दिए जाते हैं। इससे समाज में अव्यवस्था तो फैलती ही है, संदर्भित व्यक्ति की गरिमा भी धूमिल हो जाती है। बाद में दिए गये स्पष्टीकरण के वावजूद भी ‘डैमेज कंट्रोल’ मुश्किल से ही होता है और तब तक अनैतिक ताकतों का मंतव्य भी पूरा हो चुका होता है।

वर्तमान में, भारत दुनिया के सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी का पोषक-राष्ट्र है। किन्तु भारत की यह बेशुमार युवा-आबादी सोशल मीडिया का अनियंत्रित प्रयोगकर्ता है। सोशल मीडिया की बेलगाम लत के कारण इन युवाओं में शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे उनमें निराशा एवं कुंठा पनप रही है और उनकी यह अवस्था भारतीय समाज में एक नये प्रकार की सांस्कृतिक विसंगति को जन्म दे रही है। यह विसंगति न केवल सामाजिक संबंधों में युवाओं की सहभागिता को कम करती है, बल्कि उन्हें अवसाद, भय, अकेलापन, चिडचिडापन एवं आक्रामकता का शिकार भी बनाती है। यदि यह असंगत स्थिति समय रहते नियंत्रित नहीं की गयी तो भारत को युवाओं की बड़ी-आबादी के रूप में मिले वरदान को अभिशाप में बदलते देर नहीं लगेगी। बेशुमार अनियंत्रित एवं मानसिक-सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ चुके युवाओं को संभालना भारतीय-गणराज्य के समक्ष एक गंभीर चुनौती का रूप धारण कर लेगी। इन युवाओं के विचलन-स्खलन के फलस्वरूप इनके असामाजिक-तत्वों में बदलते चले जाने की कु-सम्भावना भी रहेगी।

इन तमाम मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना भी अपरिहार्य है कि सोशल मीडिया आज जिस तरह से हमारी आम-जिन्दगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है, ऐसे में हम एक झटके में उसे अपनी जिन्दगी से अलग नहीं कर सकते हैं और एक लोकतान्त्रिक गणराज्य होने के कारण एक झटके में इन सोशल साइट्स पर कड़ी पाबन्दी भी नहीं लगा सकते और इस तरह का कोई भी कदम सोशल मीडिया की बहुतेरे सकारात्मक संभावनाओं को देखते हुए किसी भी तरह से न्यायोचित और व्यावहारिक रूप से भी फलदायी नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक मुद्दों, जन-आंदोलनों आदि पर आम लोगों की एक व्यापक आबादी द्वारा राय जाहिर जाहिर कर सकने की जो सहूलियत सोशल मीडिया ने उपलब्ध कराई है, वो केवल मुख्य-धारा की मीडिया के द्वारा पूर्णरूपेण संभव भी नहीं हो पायेगा। सोशल मीडिया पर बाजार (मार्केट) की निर्भरता भी जगजाहिर है; तमाम तरह की कम्पनी-प्रोडक्ट्स के प्रचार-प्रसार के लिए भी सोशल मीडिया एक सस्ता, विश्वसनीय और एक बड़ी आबादी तक पहुँच का सुगम माध्यम है। इसके

अतिरिक्त, सोशल मीडिया के द्वारा अनैतिक और असामाजिक चीजों के व्यापार का भी एक रास्ता खुलता है। इस तरह बाजारवाद सोशल मीडिया के सहारे फल-फूल भी रहा है और सोशल-मीडिया को अपनी गिरफ्त में भी रखे हुए है। सभी पहलुओं से गौर करने पर हम पाते हैं कि सोशल मीडिया वक्त की जरूरत है। बस सोशल मीडिया की बेलगामी को दूर करने की अविलम्ब व महती आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में सोशल मीडिया के सही रख-रखाव की जिम्मेवारी केवल सरकारी-तंत्र की ही नहीं बनती है बल्कि लाभार्थियों की भी बनती है; उन लाभार्थियों में आम नागरिक भी हैं, सोशल मीडिया के उपयोग के सहारे सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले नेता-गण भी हैं, अनगिनत युवा भी हैं और युवाओं के अभिभावक भी। जहाँ, सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित कानून बनाना और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना विधायिका, कार्यपालिका और न्याय-पालिका की जिम्मेदारी है; वहीं भ्रामक खबरों को प्रचारित-प्रसारित ना करना, एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से समाज-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी खबरों को प्रसारित होने से रोकना और कुप्रचारक-तत्वों की सही समय पर रिपोर्टिंग करना जनता की जिम्मेदारी है। युवाओं को सोशल मीडिया के सही उपयोग से जुड़े प्रशिक्षण देना राज्य और अभिभावक दोनों की जिम्मेवारी है। इससे इतर बचपन से ही सोशल मीडिया की लत लगने से बचाना, बढ़ती उम्र के साथ उनके वास्तविक समाजीकरण पर ध्यान-देना बच्चों के माता-पिता, परिवार के अन्य अग्रज सदस्यों और नजदीकी शिक्षकों की कर्तव्य-सूची में शामिल होना चाहिए। यदि इन कुछ उत्तरदायित्वों को हम सही से निभा सकें तो सोशल मीडिया हमारे लिए अभिशाप नहीं बन पायेगा, वरदान जैसा ही रहेगा। सोशल मीडिया को अनंतिम रूप से मानव-समाज हितैषी बनाये रखने का यह उत्तरदायित्व हमारा है, आपका है, हम सबका है।

#### संदर्भ सूची

1. The new electronic interdependence recreates the world in the image of a global village.’; Marshall McLuhan- Wikipedia; web. <https://en.m.wikipedia.org>
2. Marshall McLuhan- Wikipedia; web. <https://en.m.wikipedia.org>
3. परसाई, हरिशंकर, आवारा भीड़ के खतरे, वेब- हिंदीसमय.कॉम
4. दाश, मानसी, सोशल मीडिया हथियार भी, सिरदर्द भी, बीबीसीहिंदी संवाददाता, वेब- [bbchindi.com](http://bbchindi.com)
5. शर्मा, कपिल, प्रशासन के लिए चुनौती के रूप में उभरता सोशल मीडिया, वेब- [ichowk.in](http://ichowk.in)
6. (केवल आँकड़े) साभार वेब- [www.drishtias.com](http://www.drishtias.com)